छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष 0771–2423590,2445361 फैक्स 0771–2424094, 2429385

क्रमांक/3109/प.स./2013 रायपुर, दिनांक 25/2/2013

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   छत्तीसगढ़
2. समस्त केन्द्राध्यक्ष
   हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा 2013
   छत्तीसगढ़

विषय :– परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पर निषेध ।

– – 00 – –

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2008 की धारा "छ" के अनुसार "कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से सम्बन्धित कोई कार्य सौपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा जारी रहने के दौरान परीक्षा केन्द्र में न तो प्रवेश करेगा न ऐसे केन्द्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदाय करेगा।

अधिनियम की धारा छः का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध अधिनियम में शास्ति का भी प्रावधान है –

"जो कोई धारा 4, 5, 6, 7 और 8 का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, या उल्लंघन के लिए दुष्प्रेरित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनो से दण्डित किया जावेगा।

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति भले ही वह मीडिया कर्मी क्यों न हों परीक्षा केन्द्र में सचिव छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल की पूर्व अनुमति के बगैर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश निषिद्ध माना जावें।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/ / प.स./2013 रायपुर, दिनांक / /2013

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन की ओर मान. मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर (छ.ग.)
3. आयुक्त, लोक शिक्षण/संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग संचालनालय रायपुर (छ.ग.)
5. समस्त प्रथम श्रेणीं अधिकारी, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर. की ओर सूचनार्थ
6. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़
8. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, छत्तीसगढ़
9. समस्त मण्डल सदस्य, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर. की ओर सूचनार्थ
10. सहायक सचिव डाटा कक्ष छ.ग.माध्यमिक शिक्षा रायपुर की ओर मण्डल की वेबसाइट में लोड करने हेतु।

उपसचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर